भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1533

दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन

†1533. श्री दयाकर पसुनूरीः
श्रीमती कविता मलोथूः
डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः
डॉ. जी. रणजीत रेड्डीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायती राज मंत्री की ओर से मंत्रालय से प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि जारी करने के रूप में तेलंगाना राज्य को 254.देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है .करोड़ रु 74;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत (आरजीएसए) .तेलंगाना के लिए रु 52.करोड़ की निधि की पहली किस्त के रूप में जारी करने 55 का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हांतो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और सरकार इसे कब , तक जारी करने जा रही है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल)

(क) जी महोदय। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए चौदहवें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान की राशि क्रमशः 119.28 करोड़ और 135.46 करोड़ रुपये को जारी करने के लिए माननीय मंत्री पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण जल आपूर्ति, तेलंगाना से दिनांक 5.8.2019 को लिखा पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) माननीय मंत्री पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण जल आपूर्ति, तेलंगाना सरकार ने पत्र दिनांक 23.06.2021 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 72.86 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया था।

(ग) वर्ष 2017-18 के लिए 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान के मद का 119.28 करोड़ रुपये राज्य को दिनांक 14.08.2019 को जारी कर दिए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को 2018-19 के लिए 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान के मद का 135.46 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश दिनांक 31.12.2019 को की थी।

वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि 14वें वित्त आयोग अवार्ड अवधि (2015-20) समाप्त हो चुका है। अतयव, अब पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत 12 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान तेलंगाना राज्य को जारी किया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत तेलंगाना राज्य के लिए 272.34 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना की मंजूरी दी गई है। राज्यों को निधियां, अनुमोदित योजनाओं के आधार पर अपेक्षित दस्तावेज अथार्त उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदि जमा करने तथा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का अनुपालन के उपरांत की जाती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य को अभी तक कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है क्योंकि राज्य द्वारा अभी तक वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.03.2021 के निर्देश का पालन निम्नलिखित बिंदुओं पर करना अपेक्षित है:

(i) निधि के हस्तांतरण के अंतिम स्तर तक राज्य नोडल खाते (एसएनए) और कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) का मानचित्रण।
(ii) कार्यान्वयन एजेंसियों से राज्य नोडल खाते में शेष राशि का 100% जमा करना।

***